न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 14/2026 बउनवानी राकेश शर्मा बनाम तहसीलदार गंगापुर सिटी
स्व0 श्री रामस्वरूप शर्मा निवासी रघुनाथ जी के मंदिर के पीछे मुनीम पाडा गंगापुर

GCMS No-2026/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
18.2.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 13.11..2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **विरासत सर्टिफिकेट आदेश दिनांक 16.6.1923 मे लिखी हुई भूमि 25 बीघा, वाके कस्बा गंगापुर सिटी, 15 बीघा वाके ग्राम सालोदा, 7 बीघा वाके मौजा महूँकला, इस तरह 15 बीघा चाही ओर 21 बीघा जमीन बारह आनी की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति** " तहसीलदार गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/सू.का.अ./2026/486 दिनांक 18.2.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 13.11.2025 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा ख0न0,खाता सख्या, खातेदार का नाम इत्यादि अंकित नही किये जाने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.11.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा ख0न0, खाता संख्या, खातेदार का नाम इत्यादि अंकित नही किये जाने के कारण अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner